कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसायटी, राष्ट्रीय आयुष मिशन
संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष),
पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर छत्तीसगढ़
दूरभाष कमांक 0771–4052949 ई–मेल cgnamoffice@gmail.com

विज्ञप्ति कमांक / 2 / रा.आ.मि. / 2017–18 /   रायपुर, दिनांक

विज्ञापन

राष्ट्रीय आयुष मिशन छत्तीसगढ़ के अधीन विभिन्न संस्थाओं में योग चिकित्सक (संविदा) के रिक्त पदों की निश्चित एवं समेकित वेतन पर योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

स. क.	पद का नाम.	अनारक्षित	अनु.जनजाति	अनु.जाति	अन्य पि.वर्ग	कुल पद
1	2	3	4	5	6	7
1	योग चिकित्सक (संविदा)	1	1	-	-	2

योग चिकित्सक के कार्य :–

(1) प्रातः 6.00 बजे से 9.00 बजे तक (तीन घण्टे) – योग प्रशिक्षण।
प्रातः 9.00 बजे से 10.30 बजे तक – कार्य विराम।
प्रातः 10.30 बजे से 03.30 बजे तक – योगा क्लीनिक। (वेलनेस सेंटर में)

(2) योग चिकित्सक को प्रतिमाह जिले के आयुर्वेद ग्रामों में योग प्रशिक्षण कराना होगा।

(3) प्रत्येक माह योगा वेलनेस सेंटर में नियमित योगाभ्यास करने वालों की संख्या एवं योगा क्लीनिक में लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या की जानकारी जिला एवं राज्य स्तर पर प्रेषित की जानी होगी। साथ ही हितग्रहियों की संख्या में वृद्धि के हर संभव प्रयास किये जाने होंगे।

(4) योग का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न आई0ई0सी0 गतिविधियां एवं ब्रोशर पाम्पलेट इत्यादि तैयार कर वितरित करने होंगे।

(5) समय–समय पर अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना।

उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हताएं निम्नानुसार हैं :–

स. क.	पद का नाम.	मासिक संविदा वेतन	अनिवार्य आर्हताए
1	योग चिकित्सक (संविदा)	25000 /–	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से योग एवं नेचरोपैथी मे स्नातक उपाधी, इंटर्नशिप का प्रावधान होने की दशा में इंटर्नशिप सहित। (2) छ.ग. राज्य आयुर्वेद, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में स्थायी पंजीयन।

1 आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।

2 **आयु सीमा**

1 आयु दिनांक 01 जनवरी 2018 न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र कमांक एफ–3–2 / 2002 / 1–3, दिनांक 27.09.2013 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 22.12.2013 के अनुसार आगामी भर्ती जो कैलेण्डर वर्ष 2018 की

समाप्ति के पूर्व की जावेगी, में. केवल एक बार के लिए छ.ग.के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। फलस्वरूप अधिकतम आयु 40 वर्ष की जाती है।

2 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला/शासकीय उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गो के उम्मीदवार जिन्हे उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी, उन्हे नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जावेगी।

3. किसी भी उम्मीदवार को किसी भी आधार पर या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरान्त भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3 **चयन प्रकिया**

योग चिकित्सक के पद पर चयन मेरिट के आधार पर किया जावेगा ।

4 **आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि** – समस्त आवश्यक सहपत्रों सहित पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़ पुराना मंत्रालय परिसर के पास रायपुर के कार्यालय में पंजीकृत डाक /कुरियर के माध्यम से **दिनांक 26.02.2018 को कार्यालयीन समय तक** अथवा उसके पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए, आवेदक कृपया ध्यान देवे कि डाक अथवा किन्ही कारण से होने वाले विलंब के लिए संचालनालय जिम्मेदार नहीं होगा।

5 **आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश** –

1. आवेदन पत्र विज्ञापन में दर्शाये प्रारूप अनुसार A4 साइज में किया जावे । आवेदन पत्र पूर्ण रूप से बिना कांट–छांट के साफ–साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिए, आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा 4"X8" का लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है। शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता, मूल निवासी प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/भू.पू. सैनिक एवं आवेदक से संबंधित अन्य सभी प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित प्रतियां भेजना आवश्यक है। अपूर्ण रूप से भरे गये या बिना सहपत्रों के आवेदन पत्र स्वयंमेव निरस्त होंगे।
2. सभी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम अधिकारी द्वारा दिये हुए होने चाहिए।
3. पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़ मंत्रालय परिसर के पास रायपुर के पते पर पंजीकृत डाक/कूरियर द्वारा इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वे निर्धारित तिथि/ समय तक कार्यालय में आवश्यक रूप से प्राप्त हो जावे। अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे एवं वे स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा।
4. लिफाफे के ऊपर **पद का नाम तथा विज्ञप्ति का कमांक एवं दिनांक अनिवार्यतः लिखा जावे।**
5. व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।
6. शासन द्वारा निर्धारित आयु अर्थात् महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं पुरूषों के लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें।
7. अभ्यर्थी जिनकी दो से अधिक सन्ताने हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है नियुक्ति के लिए अपात्र होगें ।
8. निःशक्त अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु पात्र नहीं होंगे।
9. नियुक्त कर्मचारी की सेवाएं संविदा नियम– 2012 के तहत शासित होगी।
10. संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिए कि जावेगी। भारत सरकार की स्वीकृति अनुरूप पदों की संविदा अवधि में वृद्धि की जावेंगी।
11. मासिक समेकित एक मुश्त संविदा वेतन देय होगा।

12 इस विज्ञापन के जारी होने के पूर्व प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं किये जावेगे।

13 नियुक्ति हेतु सिफारिश करने वाले, किसी भी प्रकार दबाव डलवाने वाले आवेदक का आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा।

14 आवेदन पत्र में असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा साथ ही नियमानुसार आवेदक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

सदस्य सचिव
कार्यकारी समिति
राज्य आयुष सोसायटी एवं
संचालक आयुष, रायपुर
छत्तीसगढ़